147

नि -2654-I/16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी प्रकरण कमांक -एक/2016

1- गंगाराम 2- अशोक 3- बलराम
4- खुशीराम
चारों पुत्रगण चिंतराम यादव

ग्राम टीलादॉत

तहसील मोहनगढ़

जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर टीकमगढ़

2- अनुविभागीय अधिकारी जतारा ---अनावेदकगण

(निगरानी आवेदन अंतर्गत धारा 50, म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 - अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 34/2015-16 स्व0निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-7-2016 के विरूद्ध)

कृ0पृ030-2

XXXX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ.....

प्रकरण कमांक 2654–एक/2016 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभिभा''ाकों आ के हस्ताक्षर
19-8-16	यह निगरानी अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 34/2015–16 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–7–2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण व्दारा अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया गया कि उनके पिता चिंतराम पुत्र झल्ली यादव को ग्राम टीलादॉत की भूमि सर्वे नंबर 44 रकबा 1.619 हैक्टर का पटटा प्रदान किया गया था तभी से उनके पिता एंव पिता के स्वर्गवास के वाद वह भूमि पर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं । इस भूमि के अलावा उनके पास अन्य भूमि नहीं है , जब पटवारी ने बेजा कब्जे की रिपोर्ट की एंव आवेदकगण के विरूद्ध बेजा कब्जे की कार्यवाही हुई, तब पता करने पर ज्ञात हुआ कि अनुविभागीय अधिकारी जतारा ने आवेदकगण को सूचना दिये बिना एंव सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश दि. 5–1–89 से पटटा निरस्त कर दिया है जबकि अनुविभागीय अधिकारी को पटटा निरस्त करने हेतु स्वमेव निगरानी दर्ज कर कार्यवाही के अधिकार नहीं हैं इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश क्षेत्राधिकार के वाहर होने से निरस्त किया जाय। अपर कलेक्टर टीकमगढ़	

प्र0क0 2654–एक/2016 निगरानी ने प्रकरण कमांक 34/2015–16 स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनॉक 21–7–2016 पारित करके स्वमेव निगरानी प्रकरण निरस्त कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक एंव्र शासन के पैनल लायर के तर्क सुने । प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने आदेश दिनॉक 21–7–2016 के पैरा 6 में इस प्रकार अंकित किया है :–

- इसके अतिरिक्त आवेदकगणों के व्दारा अपने आवेदन के साथ राजस्व रिकार्ड रूम का प्रमाण पत्र संलग्न किया है जिससे प्रमाणित होता है कि अनुविभागीय अधिकारी जतारा का उक्त प्रकरण नष्ट किया जा चुका है। *

राजस्व न्यायालयीन प्रकरणों का रिकार्ड स्थाई रिकार्ड है – खेद का विषय है कि अनुविभागीय अधिकारी का प्रकरण अस्तित्व में न होते हुये भी व्यवस्थापित की भूमि पर से उसके नाम की प्रविष्टि विलोपित कर दी गई। अपर कलेक्टर व्दारा तहसीलदार मोहनगढ़ से वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में स्थल की एंव अन्य तथ्यों पर जॉच रिपोर्ट मांगी गई, जो तहसीलदार मोहनगढ़ ने कमांक रीडर.तह./32/2014 दिनांक 31–10–2014 से प्रस्तुत की है। प्रतिवेदन के पद–4 में इस प्रकार अंकित है :–

- खसरा नं. 44/2/1 के शेष नाम पर वर्तमान में बेजा कब्जा है जिसमें से इमरत त. चिपले रकबा 0.809 है. सुखराम त. घनश्याम यादव रकबा 1.619 है. तथा गंगाराम इत्यादि 1.619 है. पर अनाधिकृत रूप से काविज है । पूर्व में इन्हें उक्त भूमि पर पटटा प्राप्त हुआ था जो अ.वि.अधि. महोदय जतारा के प्र.क. 292/निगरानी/1988–89 में पारित आदेश दिनॉक 28–9–89, व्यवस्थापन 2–10–1984 के आधार पर खारिज किया गया है। *

विचार योग्य है कि क्या भूमि बन्टन अथवा व्यवस्थापन के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी को स्वमेव निगरानी अथवा निगरानी की शक्तियॉ प्राप्त हैं ?

1. मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 सहपठित राजस्व पुस्तक परिपत्र चार–4 की कंडिका 30 – इन नियमों में अनुविभागीय अधिकारी को स्वमेव निगरानी अथवा निगरानी श्रवण करने की शक्तियॉ प्राप्त नहीं हैं।

2. मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना, विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 – इन नियमों में पारित भूमि व्यवस्थापन आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण की शक्तियॉ कलेक्टर को हैं।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि एक ओर जहॉ अनुविभागीय अधिकारी का मूल प्रकरण अशोधित है अर्थात है ही नहीं। इसका आशय यही है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश का कमांक एंव दिनांक डालकर की गई पटवारी व्दारा खसरा प्रविष्टि अनुचित एंव शून्यवत् है जिसका खामियाजा पात्र कृषकों को नहीं भुगताया जा सकता।

5/ तहसीलदार मोहनगढ़ ने कमांक रीडर.तह./32/ 14

दिनांक 31–10–2014 के पद 4 में उल्लेखित अनुसार आवेदकगण के स्वर्गीय पिता चिंतराम को भूमि का व्यवस्थापन मध्य प्रदेश कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना, विशेष उपबंध अधिनियम, 1984 के अंतर्गत 2–10–1984 के कब्जे के आधार पर किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ऐसे व्यवस्थापन पर निगरानी श्रवण करने की अधिकारिता नहीं रखते हैं अतएव अनुविभागीय अधिकारी जतारा का प्र.क. 292/निगरानी/1988–89 में पारित आदेश दिनॉक 28–9–89 विधि के प्रभाव से अकृत एंव शून्यवत है।

1. देवी प्रसाद विरूद्ध नाके J.L.J. 155= 1975 R.N. 67= 1975 R.N. 208 का न्याय दृष्टांत है कि भूमि का आवन्टन 5 वर्ष पूर्व किया गया। आवंटिति को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त। तत्पश्चात् आवन्टन रद्ध नहीं किया जा सकता।
2. इन्दर सिंह तथा अन्य विरूद्ध म0प्र0राज्य 2009 रा0नि0 251 का न्यायियक दृष्टांत है कि भूमि का आवंटन किया गया – सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती – प्रशासनिक अधिकारियों व्दारा की गई प्रकियात्मक त्रृटि के कारण भूमिहीन बंटितियों को भूमि के आवंटन के लाभ से बंचित नहीं किया जा सकता।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में पाया गया कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा आदेश दिनॉक 21–7–2016 पारित करते समय जानबूझकर इन तथ्यों को अनदेखा किया है जिसके

कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है तथा तहसीलदार मोहनगढ़ के जॉच प्रतिवेदन कमांक रीडर तह./32/2014 दिनांक 31–10–2014 के पैरा 5 में दर्शाए अनुसार अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण कमांक 294/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 2–8–13 से वाद विचारित भूमि म0प्र0शासन के नाम बंजर के रूप में दर्ज करने का लिया गया निर्णय भी अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 34/2015–16 स्वमेव निगरानी में पारित आदेश दिनॉक 21–7–2016 एंव प्रकरण कमांक 294/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 2–8–13 तथा अनुविभागीय अधिकारी जतारा व्दारा प्रकरण कमांक 292/निगरानी/1988–89 में पारित आदेश दिनांक 28–9–89 (मूल प्रकरण अस्तित्व में न होने के कारण) त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा शासकीय अभिलेख से स्वर्गीय चिंतराम यादव के नाम को विलोपित करने हेतु खसरे में की गई अधिकारविहीन प्रविष्टि को निरस्त करते हुये तहसीलदार मोहनगढ़ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम टीलादांत स्थित भूमि सर्वे कमांक के 44 के (उप कमांक) रकबा 1.619 हैक्टर पर उसके विधिक वारिस (चारों आवेदकगण) का नाम भूमिस्वामी के रूप दर्ज किया जावे।

सदस्य